

426



आयालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म.प्र.

विग - 3355 I-16

प्रकरण क्रमांक

2016 निगरानी

अर्जुन सिंह पुत्र भवानी सिंह आयु 59 साल  
व्यवसाय - कृषि, निवासी - फतेहपुर, तहसील

बासौदा जिला विदिशा म.प्र -- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

दिनांक 28-9-16 को  
श्री का. वी. शर्मा का  
दाना उद्भूत।

28-9-16  
28-9-16 50

A. S.  
आर. वी. शर्मा  
28-9-16

- 1- जसबन्त सिंह पुत्र भवानी सिंह निवासी बेहलोट वाय्मास, कुमुद पैलेस के पीछे, गज बासौदा जिला विदिशा
- 2- श्रीमती रामकली पत्नी प्राणासिंह पुत्री भवानी सिंह निवासी सिरोज म.प्र.
- 3- श्रीमती रम्भा पत्नी केशरी पुत्री भवानी सिंह निवासी ग.म कोलिजा जिला विदिशा। म.प्र.
- 4- श्रीमती कुसुम बाईपत्नी नबल सिंह पुत्री भवानी सिंह निवासी ग्राम गोद जिला विदिशा म.प्र.
- 5- गजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर जिला विदिशा
- 6- नेहा पुत्री जसबन्त आयु 31 साल नि. बेहलोट वाय्मास कुमुद पैलेस के पीछे गज बासौदा जिला विदिशा म.प्र.
- 7- सोनम पुत्री जसबन्त सिंह आयु 5 साल निवासी बेहलोट वाय्मास कुमुद पैलेस के पीछे गज बासौदा जिला विदिशा

— र स्थोडे = टस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म प्र भू राजस्वसहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 23/8/2016 न्याया. अति भागकिय राजस्व बासौदा जिला विदिशा के प्र.क्र. 23/अपील / 15-16 अर्जुन सिंह बनाम जसबन्त सिंह से व्यधित होकर


===  
R. S.

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3355-एक/16

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	